



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती
पत्रांक - 862 / 12-1, मुनिकीरेती, दिनांक- 20 / 11 / 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मुस्टिकसौड़-कुरोली मोटर-मार्ग के कंकराड़ी बैण्ड से किशनपुर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.163 हे० वन भूमि के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/23851/2017)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी-केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून का पत्र संख्या-8बी०/यू०सी०पी०/०६/१००/२०१८/एफ०सी०/१३७३, दिनांक- ०८.१०.२०१८।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित कमियों की निराकरण आख्या निम्नवत् है जो कि आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

क्र० सं०	कमियाँ	निराकरण
1	Only administrative approval, geologist report and joint inspection report are found uploaded in Part-I.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी अपेक्षित अभिलेख पार्ट-I में अपलोड कर दिये गये हैं।
2	Only digital map, Part I II, III & V, joint inspection report and site inspection report are submitted in hard copy.	बिन्दु संख्या-02 के क्रम में अवगत कराना है कि वांछित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र संख्या-646/12-1, दिनांक-27.08.2019 से इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये, जिसके क्रम में वांछित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी तीन प्रतियों में इस कार्यालय के पत्र संख्या-340/12-1, दिनांक-29.08.2019 से आपको प्रेषित की जा चुकी है। पूनः प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव की चार प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि आपको तीन प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न)
3.	Total period for which the forest land is proposed to be diverted is mentioned as 1 year at para A online Part I.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन पार्ट-I के पैरा-A-1(x) में संशोधन कर लिया गया है।
4.	FRA certificate is not found properly uploaded and also not clear.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित स्पष्ट अभिलेख ऑनलाईन पार्ट-I में अपलोड कर दिये गये हैं।
5.	The number of trees affected is mentioned as 41 in hard copy, where as it is mentioned as 89 in the enumeration list uploaded in Part-II.	बिन्दु संख्या-05 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में सिविल भूमि में कुल 96 एवं नाप भूमि में 13 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। वन भूमि हस्तान्तरण गाइड लाईन-2014 के अनुसार नाप भूमि में स्थित वृक्षों को ऑनलाईन पार्ट-II में अंकित नहीं किया जाना है। उक्तानुसार प्रभाग स्तर से पार्ट-II के पैरा-4(ii) में संशोधन कर 96 वृक्षों की सूची अंकित कर दी गयी है।

6.	At para 15 against S.No. 5.5 And 5.5(a) in Part II no comments are made by DFO.	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में टिप्पणी करके पार्ट-II में अपलोड कर ली गयी है।
7.	Total trees affected are mentioned as 89 over 1.163 ha and density is mentioned as 0.1 which does not seem to be correct.	बिन्दु संख्या-07 के अनुपालन में प्रभाग स्तर से पार्ट-II में घनत्व संशोधित कर 0.2 अंकित कर दिया गया है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय

Joshi

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

Ce

संख्या :- / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक